मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3234
16.12.2024 को उत्तर के लिए

हाथी पर्यावास की गणना

3234. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् हाथियों के पर्यावास की गणना की जाती है;

(ख) यदि हां, तो देश में हाथियों के पर्यावास के लिए की गई विगत गणना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2022-23 में देश में हाथियों के पर्यावास की गणना शुरू की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में हाथियों के पर्यावास की गणना नहीं करता है। मंत्रालय देश में हाथियों की आबादी (अनुमानित आबादी) की गणना करता है। पिछली बार वर्ष 2017 में राज्य वन विभागों और संस्थानों के समन्वय से हाथियों की आबादी का अनुमान लगाया गया था। मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और राज्य वन विभागों के समन्वय से वर्ष 2022-23 में 'अखिल भारतीय समन्वित हाथी संख्या अनुमान' शुरू किया है। ऐसी सभी अनुमान रिपोर्टें पूरी होने के बाद सार्वजनिक की जाती हैं।

*****